ग्राम पंचायत तरेहल विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना:—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तरेहल विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत तरेहल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्री प्यार चन्द	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—.

1	श्री अशोक कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत तरेहल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.09
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	22.33

3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.89
4	7.1	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.09
5	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	7.94
6	9	प्रिया सॉफ्ट एवं मैनुअल संधारित लेखों में लाखों की राशि का अन्तर पाया जाना	8.91

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु वर्तमान अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है । अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

क0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 214 में पुष्टि उपरान्त
2	4.1	अनिर्णीत।
3	4.2	अनिर्णीत ।
4	4.3	अनिर्णीत ।
5	4.4	अनिर्णीत ।
6	4.5	अनिर्णीत ।
7	5	अनिर्णीत ।
8	5.2	अनिर्णीत ।

9	5.3	अनिर्णीत ।
10	5.4	अनिर्णीत ।
11	5.5	अनिर्णीत ।
12	6	अनिर्णीत ।
13	7	अनिर्णीत ।
14	8	अनिर्णीत ।
15	9	अनिर्णीत ।
16	10	अनिर्णीत ।
17	11	अनिर्णीत ।
18	12	अनिर्णीत ।
19	13	अनिर्णीत ।
20	14	अनिर्णीत ।
21	15	अनिर्णीत ।
22	16	अनिर्णीत ।

भाग—दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :—**

ग्राम पंचायत तरेहल, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.02.2025 से 15.02.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022—2023	05/2022	03/2023
2023—2024	07/2023	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार

पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क** :—

ग्राम पंचायत तरेहल विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति** :—

ग्राम पंचायत तरेहल विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(1) स्वः स्त्रोत :— ग्राम पंचायत तरेहल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022—23	178447.79	272465	18289	469201.79	18642	450559.79
2023—24	450559.79	81053	21172	552784.79	36554	516230.79

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत तरेहल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2022—23	**1539990**	**4662092**	**8205**	**6210287**	**3768844**	**2441443**
2023—24	**2441443**	**3515935**	**122437**	**6079815**	**3846804**	**2233011**

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC, SDRF,ZP,SDP,MPLAD,RGSA

		Own source, 5th State,	
A/c No. 20054004809	KCCB Panchrukhi	PS, ZP, RGSA	662158
A/c No. 50057003048	KCCB Panchrukhi	VKVNY	58644
A/c No. 50057013772	KCCB Panchrukhi	SDRF	17596
A/c No.50057013502	KCCB Panchrukhi	MPLAD	25366
A/C No. 50057002114	KCCB Panchrukhi	SDP	112989
A/C No. 20100379565442	HDFC Palampur		1875673
A/C No. 6412000100019684	PNB Panchrukhi		5220.79
A/c No. 50056574547	KCCB Panchrukhi		827
cash in hand			**0**
		Total	**2758473.79**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			**516230.79**
Cash Book Balance on 31.03.2024		PS	**8676**
Cash Book Balance on 31.03.2024		5 SFC	**47715**
Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY	**58644**
Cash Book Balance on 31.03.2024		14TH FC	**17596**
Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC	**1875673**
Cash Book Balance on 31.03.2024		MMGPY	**5045**
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP	**112989**
Cash Book Balance on 31.03.2024		MPLAD	**25366**
Cash Book Balance on 31.03.2024		RGSA	**81307**
		Total	**2749241.79**
		diffrence	**9232**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹ 0.09 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना निमयों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹9,232/– पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45 दिनांक 15.02..2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष का मिलान न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेर्शों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 47 दिनांक 15.02..2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलनाः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own source, 5th State, PS, ZP, RGSA, स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्व एक ही बैंक खाता संख्या 20054004809 के0सी0सी0बी0 पंचरूखी खोला गया था, जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48 दिनांक 15.02..2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः आज दिन तक उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें तथा नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5. निवेश :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभुतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु

निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 5,16,230/—की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 15.02..2025 द्वारा इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु साविध जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप—1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹ 22.33 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की अपेक्षाओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट—1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 22,33,011.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.89 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त

कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतांन नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पति कर ₹88,500/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–23	239100	55500	294600	261200	33400
2023–2024	33400	55500	88900	400	88500

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 50 दिनांक 15.02..2025 द्वारा इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से

सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 88,500/- शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.1 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹ 0.09 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निम्नविवारणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **9,000/-** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ।
1	2022-23	3200.00
1	2023-24	5800.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51 दिनांक 15.02..2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति के समर्थन में अपेक्षित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹7.94 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :—

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म—डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म—एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला हि0प्र0 के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों / विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹** 7,94,436 /— की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियम, निर्देशों व अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्व एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्व किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹8.91 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के कियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे हैं, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 8,90,642.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2024 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	3639883.00
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2749241.00
अन्तर	₹	890942.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 53 दिनांक 15.02.2025 द्वारा उक्त अन्तर बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पंस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी, जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 03 दिनांक 25.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं अतः सम्बन्धित अभिलेख से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

1	नि0 स्वछता नाली डोहरू कालोनी मनरेगा
2	नि0 रास्ता रवि के घर से मनरेगा
3	नि0 कुहल विनोद शर्मा के घर से दिक्षित कालोनी
4	नि0 सामुदायिक भवन VKVNY

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रकिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2414-2408 24 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)219/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत तरेहल, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Trehal" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	25000	67326	0	92326	83650	8676
2	5 SFC	70000	184700	0	254700	197100	57600
3	VKVNY	173087	90000	4748	267835	207890	59945
4	SDRF	15793	78400	1261	95454	78400	17054
5	15TH FC	1041168	1625542	0	2666710	561243	2105467
6	ZP	10000	38102	0	48102	43057	5045
7	SDP	18420	149071	925	168416	149003	19413
8	MPLAD	23322	150000	1271	174593	150000	24593
9	RGSA	163200	0		163200	19550	143650
10	MNREGA	0	2278951	0	2278951	2278951	0
	Total Rs.	1539990	4662092	8205	6210287	3768844	2441443

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Trehal" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	8676	0	0	8676	0	8676
2	5 SFC	57600	309205	0	366805	319090	47715
3	VKVNY	59945	755000	5940	820885	762241	58644
4	SDRF	17054	0	542	17596	0	17596
5	15TH FC	2105467	230619	112281	2448367	572694	1875673
6	ZP	5045	0	0	5045	0	5045
7	SDP	19413	120000	2901	142314	29325	112989
8	MPLAD	24593	0	773	25366	0	25366
9	RGSA	143650	0	0	143650	62343	81307
10	MNREGA	0	2101111	0	2101111	2101111	0
	Total Rs.	2441443	3515935	122437	6079815	3846804	2233011

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 **Own Source, 5TH SFC,VKVNY, ZP, ,15th FC, ,SDP,MPLAD,RGSA,SDRF**

A/c No. 20054004809	KCCB Panchrukhi	Own source, 5th State, PS, ZP, RGSA	662158
A/c No. 50057003048	KCCB Panchrukhi	VKVNY	58644
A/c No. 50057013772	KCCB Panchrukhi	SDRF	17596
A/c No.50057013502	KCCB Panchrukhi	MPLAD	25366
A/C No. 50057002114	KCCB Panchrukhi	SDP	112989
A/C No. 20100379565442	HDFC Palampur		1875673
A/C No. 6412000100019684	PNB Panchrukhi		5220.79
A/c No. 50056574547	KCCB Panchrukhi		827
cash in hand			**0**
		Total	**2758473.79**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		**516230.79**
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	**8676**
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	**47715**
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	**58644**
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	**17596**
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	**1875673**
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	**5045**
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	**112989**
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	**25366**
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	**81307**
	Total	**2749241.79**
	diffrence	**-9232**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, TAREHAL
Dev. Block Panchrukhi (H.P.)

Financial Position of Own sources in r/o GP Trehal

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	178447.79	272465	18289	469201.79	18642	450559.79
2023-24	450559.79	81053	21172	552784.79	36554	516230.79

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, TAREHAL
Dev. Block Panchrukhi (H.P.)

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Trehal Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	239100	55500	294600	261200	33400
2023-24	33400	55500	88900	400	88500

No. Family 555 Rate 100/- per annum

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, TAREHAL
Dev. Block Panchrukhi (H.P.)

परिशिष्ट-3
(अतिक्रमण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के संदर्भ में)

(1)

Name of Gram Panchayat TREHAL Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2023-24)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O CHECK DAM WN2	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	606&01/03/2024	606&01/03/20243	150				6525
2	C/O KUHAL THARU TOWARDS DOWAN	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	607&01/03/2024	607&01/03/2024		650			21164
				601&01/03/2024	601&01/03/2024	375				16312
										0
	C/O KUHAL THARU TOWARDS DOWAN	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	602&01/03/2024	602&01/03/2024		710			23117
				603&01/03/2024	603&01/03/2024			200		6578
										0
3	C/O KUHAL AMAR SINGH HOUSE TOWARDS	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	610&01/03/2024	610&01/03/2024	375				16312
				611&01/03/2024	611&01/03/2024		710			23117
				612&01/03/2024				135		4440
4	C/O JEEPROAD TREHAL WATER TANK TOWARDS UPPAR	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	619&01/03/2024	619&01/03/2024	500				21750
				620&01/03/2024	620&01/03/2024		940			30606
5	C/O KUHAL THARU TOWARDS BEHRU	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	621&01/03/2024	621&01/03/2024			1059		34534
				623&01/03/2024	623&01/03/2024	380				16530
				625&01/03/2024	625&01/03/2024		720			23443
				626&01/03/2024	626&01/03/2024			200		6578
6	C/O PATH AMAR SINGH HOUSE TO TOWARDS RAILWAY LINE	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	803&01/03/2024	803&01/03/2024	500				16280
				804&01/03/2024	804&01/03/2024			350		11511
7	C/O SANITATION DRAIN DOHRO COLONEY	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	805&01/03/2024	805&01/03/2024	340				14790
				808&01/03/2024	807&01/03/2024			240		7814
				809&01/03/2024	809&01/03/2024	270				11745
				810&01/03/2024	810&01/03/2024			140		4604
8	C/O KUHAL JEEVAN HOUSE TO TOWARDS MATHRU RAM HOUSE TOWARDS	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	813&01/03/2024	813&01/03/2024		350			17500
				814&01/03/2024	814&01/03/2024	420				26040
9	C/O PATH RAVI HOUSE TO TOWARDS DOWAN	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	815&24/03/2024	815&24/03/2024			310		15500
				818&18/03/2024	818&18/03/2024			690		34500
				819&15/03/2024	819&15/03/2024	560				34720

10	C/O KUHAL VINOD SHARMA HOUSE TO DIXIT COLONEY	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	820&13/03/2024	820&13/03/2024		710			35500
				823&18/03/2024	823&18/03/2024		300			15000
				824&18/03/2024	824&18/03/2024	270				16740
										0
11	C/O PATH SURESH HOUSE TO TOWARDS DOWAN	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	837&01/03/2024	837&01/03/2024	200		540		39400
				839&02/03/2024	839&02/03/2024			150		7500
12	C/O PATH SUBASHS HOUSE TO TOWARDS DOWAN	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	840&02/03/2024	840&02/03/2024	65				4030
				836&01/03/2024	836&01/03/2024		210			10500
										0
13	C/O PATH/DANGA PIAR CHAND COWSHED TO KALYAN CHAND COWSHED	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR							0
				843&02/03/2024	843&02/03/2024	600				37200
				844&02/03/2024	844&02/03/2024		800			40000
14	C/O KUHAL WATER TANK TOWARDS DOWAN	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	846&02/03/2024	846&02/03/2024			740		37000
				966&06/03/2024	966&06/03/2024	375				16312
				967&01/03/2024	967&01/03/2024		705			22954
15	C/O SHIVALAYA MAHILA MANDAL	MGNREGA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR	968&01/03/2024	968&01/03/2024			135		4440
				631&01/03/2024/	631&01/03/2024				5000	44450
										0
16	C/O PANCHYAT SAMUDHYAK KENDRE	RGSA	RAJESH KUMAR GOVT CONTRACTOR							0
				53&02/03/2024	844&25/11/2023	400				17400
								TOTAL		794436

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, TAREHAL
Dev. Block Panchrukhi (H.P.)